www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-1* *Issue-5* *December 2024***

भारत में महिला अस्मिता का संघर्ष– एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रो0 मीनाक्षी व्यास

समाजशास्त्र विभाग, एस0एन0सेन पी0जी0 बालिका विद्यालय, मालरोड, कानपुर

सारांश

लैंगिक पहचान का संकट आज के समाज में नवीन विषय नहीं है। यह व्यक्तियों को अपनी वास्तविक स्थिति से अलग पहचान के रूप में सामने आने का कारण बनता जा रहा है। जेंडर का तात्पर्य, महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं जैसे, मानदंड, भूमिकाएं तथा महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों के बीच संबंध से है। यह एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, तथा इसे बदला भी जा सकता है। कुछ समाज परंपरा और संस्कृति के आधार पर स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग–अलग भूमिका निर्वहन के लिए तैयार करते हैं, जैसे सीमोन द बोऊआर की पुस्तक सेकंड सेक्स का बहुचर्चित वाक्य, ''स्त्री जन्म नहीं लेती, बल्कि बनाई जाती है'' यहां उदाहरण के रूप में द्रष्टव्य है। शिशु के जन्म लेने पर भौतिक/जैविक रूप से लड़का, लड़की होने पर समाज जेंडर के रूप में उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलिंस का मानना है कि ''जनसंचार माध्यम में महिलाओं को जेंडर आधारित भूमिका में दिखाया जाता है, तथा यह समाज के लिए जेंडर रूढ़िवादिता को पुनरूत्पादन करता है। उदाहरण के लिए, महिलाएं सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में है या घर की रखवाली जैसी पारंपरिक घरेलू भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया के कारण आर्थिक सामाजिक प्रणालियों में संरचनात्मक परिवर्तनों से प्रभावित होकर महिलाओं ने घर से बाहर निकल कर कार्य करना शुरू किया, इससे महिलाओं के लिए मानी जाने वाली विशिष्ट भूमिकाएं भी बदलने लगी। साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या, गतिशीलता, शिक्षा, प्रौद्योगिकी ने महिलाओं के लिए नई चुनौतियां, जिम्मेदारियां, नवीन भूमिकाएं भी तैयार की, तब महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकल कर नवीन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने लगी, लेकिन आज भी उनके सामने अस्मिता का संकट है।

की–वर्ड– परम्परा एवं संस्कृति,

लैंगिक पहचान का संकट आज के समाज में नवीन विषय नहीं है। यह व्यक्तियों को अपनी वास्तविक स्थिति से अलग पहचान के रूप में सामने आने का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेंडर एवं लिंग में अंतर को इस तरह से रेखांकित करता है, ''लिंग का तात्पर्य पुरुषों एवं महिलाओं की विभिन्न जैविक तथा शारीरिक विशेषताओं जैसे, यौनांग, गुणसूत्र, हारमोंस आदि है। जेंडर का तात्पर्य, महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं जैसे, मानदंड, भूमिकाएं तथा महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों के बीच संबंध से है। यह एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, तथा इसे बदला भी जा सकता है। जेंडर की अवधारणा में पांच महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं, संबंधपरक, पदानुक्रमित, ऐतिहासिक, प्रासंगिक एवं संस्थागत। शिशु महिला या पुरुष के रूप में पैदा होते हैं, उन्हें उचित मानदंड एवं व्यवहार सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें घरों, समुदायों एवं कार्य स्थलों के भीतर समान या विपरीत लिंग के अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। जब व्यक्ति या समूह स्थापित जेंडर मानदंडों के अनुरूप फिट नहीं होते तो उन्हें अक्सर कलंक, भेदभावपूर्ण प्रथाओं या सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये सभी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

डालते हैं।[1]

लैंकिग असमानता के बहुत से कारक हैं–

1. पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्यापक है जिसमें महिलाओं को विकास के अवसर कम मिल पाते है। जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तामक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
2. पंचायतीराज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
3. महिलाओं की शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान 107वां रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी यह संख्या पुरुषों की साक्षरता दर जो 80.9 प्रतिशत है कि तुलना में काफी कम है।
4. WEF के आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है– भारत (35.4%), पाकिस्तान (32.7%), यमन (27.3%), और इराक (22.7%)।[2]
5. राजनीतिक क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। लैंगिक समानता के लिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से भारत की संसद में पारित कर किया गया है। इसके तहत भारत की लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गयी हैं। यह लैंगिक समानता की तरफ एक मजबूत कदम है।[3]

बेटी बचाव–बेटी पढ़ाओं, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्प लाइन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप लैंगिक अनुपात और शैक्षिक अनुपात में प्रगति देती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा योजना और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को 'जेंडर बजटिंग' कहा जाता है। दरअसल यह शब्द विगत दो–तीन दशकों से वैश्विक पटल पर उभर रहा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को स्वीकार किया था। इसका उद्देश्य राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लैंगिक संबंधी चिंताओं का समाधान करना है।

विशेषकर विकासशील देशों में आज भी महिलाओं के लिए समाज में प्रचलित विविध मान्यताओं कानून, रूढ़िगत नियम आदि के आधार पर अलग–अलग व्यवहार प्रतिमान तय किए जाते हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने वाली महिलाएं सुशील तथा योग्य जबकि उनका अनुसरण न करने वाली विविध शब्दों से संज्ञानित की जाती हैं। समाज में विश्वास, तनाव, मानसिक असंतोष का कारण भी यह संकट माना जाता सकता है। कुछ समाज परंपरा और संस्कृति के आधार पर स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग–अलग भूमिका निर्वहन के लिए तैयार करते हैं, जैसे सीमोन द बोऊआर की पुस्तक सेकंड सेक्स का बहुचर्चित वाक्य, ''स्त्री जन्म नहीं लेती, बल्कि बनाई जाती है'' यहां उदाहरण के रूप में द्रस्टव्य है। शिशु के जन्म लेने पर भौतिक/जैविक रूप से लड़का, लड़की होने पर समाज जेंडर के रूप में उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान, डॉक्टर, जज, वैज्ञानिक कहते ही एक पुरुष छवि मस्तिष्क में उभर आती है, जब कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या भी अब कम नहीं है, किन्तु लैंगिक पहचान के आधार पर वे आज भी हासिए पर ही है। सोशल मीडिया पर आने वाला एक विज्ञापन,'' लड़की हो क्रिकेट खेल कर क्या होगा, फिर लड़की द्वारा यह कहना कि हर बॉल पर सिक्सर मारूं तो कुछ होगा? और ऐसे ही अनगिनत उदाहरण दिखाई देते हैं कोलिंस का मानना है कि ''जनसंचार माध्यम में महिलाओं को जेंडर आधारित भूमिका में दिखाया जाता है, तथा यह समाज के लिए जेंडर रूढ़िवादिता को पुनरूत्पादन करता है।[4] उदाहरण के लिए, महिलाएं सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में है या घर की रखवाली जैसी पारंपरिक घरेलू भूमिका निभा रही हैं। मीडिया में महिलाओं को अक्सर पारंपरिक जेंडर भूमिका वाली स्क्रिप्ट की पेशकश की जाती है, जैसे की गृहणी या कमजोर एवं शक्तिहीन स्थितियों में, मीडिया विज्ञापन महिलाओं की जेंडर आधारित रूढ़िवादी छवियों से भरे हुए हैं। भारत में टेलीविजन पर महिलाओं का चित्रांकन

नामक अध्ययन में कमलेश महाजन, ने बताया कि महिलाओं की जेंडर आधारित रूढ़िवादी छवियों को ही मीडिया उजागर कर रहा है। सितंबर 1991 से फरवरी 1992 ई तक दूरदर्शन द्वारा दोपहर के कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले धारावाहिकों का अंर्तवस्तु विश्लेषण किया गया, जिसमें निष्कर्ष निकला कि इनमें महिलाओं की स्थिति को पुरुषों से निम्न ही नहीं दर्शाया जाता, बल्कि महिलाओं के शोषण को सामान्य रूप से दर्शाया जाता है, तथा उनके लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बेटी है तो गुड़िया ही खेलेगी, गुलाबी रंग के वस्त्र ही पसंद करेगी, धीरे बोलेगी, धीरे ही हसेगी, उसे धीरे ही चलना चाहिए, उसी जगह छोटे से लड़के के गिर जाने पर यह कहना, क्या लड़कियों की तरह रोते हो? अर्थात रोना, कमजोर होना लड़की की पहचान है। मर्द को दर्द नहीं होता, से क्या साबित करने के प्रयास किए जाते हैं? जबकि सभी को ज्ञात है की चोट, पीड़ा सभी के लिए समान रूप से दुखदाई होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी, इतनी वीर होने के बावजूद वीर महिला नहीं मर्द का अलंकरण ही पाई, अर्थात पुरुष पराक्रम, ज्ञान साहस इत्यादि पुरुषोचित गुण है, जबकि दया, करुणा संवेदनाएं महिलाओं के विशेष गुण है। महिला या पुरुष होना ही भाग्य निर्धारण नहीं है। महिलाएं भी उन सभी भूमिकाओं का पुरुषों की तरह निर्वाहन कर सकती हैं, फिर भी लैंगिक आधार पर किया जाने वाला भेदभाव उनका शोषण करता है। शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष एवं महिला के मध्य प्राकृतिक असमानता वास्तविक है, किन्तु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में असमानता समाज की ही देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यद्यपि पूरे विश्व में महिलाएं जनसंख्या के आध ो भाग का प्रतिनिधित्व करती है, तथा संपूर्ण कार्य के दो तिहाई भाग को पूरा करती है।5 पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना उन्हीं मूल्य व्यवहार प्रतिमानों को सुदृढ़ करती है, जो महिलाओं को हीन या दूसरे दर्जे के नागारिक बनाने पर जोर देते हैं। महिलाओं को शक्तिहीन रूप में प्रस्तुत करना, पितृसत्ता को मजबूत बनाना ही है। महिलाओं की अधीनता सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति (स्वास्थ्य, आय, शिक्षा) पद अपने जीवन पर नियंत्रण के अंश के रूप में देखी जा सकती है। जेंडर समाजीकरण जिसमें जेंडर रूढ़िवादिता की शिक्षा सम्मिलित रहती है, इसमें लड़कों एवं लड़कियों से कुछ निश्चित तरीकों से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। जो बच्चे इसके अनुरूप नहीं होते, उन्हें अपने साथियों के द्वारा ही बहिष्कृत कर दिया जाता है।

यूनिसेफ 2017 में प्रकाशित पेपर ''निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में किशोरावस्था के दौरान जेंडर समाजीकरणः अवधारणा, प्रभाव एवं परिणाम'' इस बात पर जोर देता है कि जेंडर समाजीकरण जन्म से शुरू होता है किशोरावस्था में तेज होता है, एवं शिक्षा में रोजगार, आय, सशक्तिकरण एवं कल्याण के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में किशोरावस्था के दौरान एवं बाद के जीवन में जेंडर असमानताओं में योगदान देता है। जेंडर समाजीकरण महिलाओं एवं पुरुषों को सामाजिक भूमिकाएं प्रदान करने की एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसे समाज ने लिंग पर आधारित माना है।[6]

विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया के कारण आर्थिक सामाजिक प्रणालियों में संरचनात्मक परिवर्तनों से प्रभावित होकर महिलाओं ने घर से बाहर निकल कर कार्य करना शुरू किया, इससे महिलाओं के लिए मानी जाने वाली विशिष्ट भूमिकाएं भी बदलने लगी। साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या, गतिशीलता, शिक्षा, प्रौद्योगिकी ने महिलाओं के लिए नई चुनौतियां, जिम्मेदारियां, नवीन भूमिकाएं भी तैयार की, तब महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकल कर नवीन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने लगी। इन परिवर्तनों ने पारंपरिक जेंडर पहचान एवं जेंडर भूमिकाओं पर प्रश्न उठाएं, जिसका महिलाओं ने नवीन भूमिका को निभाते हुए उत्तर भी दिया, लेकिन आज भी उनके सामने लैंगिक पहचान का संकट है। आगे की राह को आसान बनाने के लिए अपने समाज, परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने की कोशिश करनी होगी। महिलाओं को उनकी पहचान के लिए जागरूक करना होगा, जिसके लिए समाज को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। लड़के–लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज की गलत मान्यताओं को बढ़ावा देना है। महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनने के बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनना होगा। जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्ववपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वास्तविक सुधारों के लिए महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। भारत सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है।

संदर्भ सूची–

1. जेंडर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स– वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन– अवेलेबर एट ए http:www.who.int.ds Saisu YMZ&gSYFk Ms2021

2. Ward Economic form report
3. https://wwwdrishtrict.com.
4. R.L. Collins, op,cit,pp.290
5. जेंडर एवं समाज, डॉ धर्मवीर महाजन, डॉ कमलेश महाजन, परिवार में महिलाएं एवं जेंडर समाजीकरण, पृष्ठ संख्या 41
6. यूनिसेफ ऑफिस ऑफ रिसर्च innocenti http:ww.unicef.irc.org/ publication/pdf/idp-2017/01 pdf.

Cite this Article-

प्रो0 मीनाक्षी व्यास, "भारत में महिला अस्मिता का संघर्ष– एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:05, December 2024.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2024v1i5002

Published Date- 04 December 2024